**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल**

क्रमांक / एफ–5 / 1253 / 2023 / 10–11 / 3357 भोपाल, दिनांक 26-06-24

प्रेषकः–

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

**विषयः– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत कान्द्रीकला से कट्टीपार तक मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/155493/2022)**

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6-MPR 019/2023 BHO/I/69676 दिनांक 12.04.2024

----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

(1)आपके पत्र क्रमांक / 6-MPR 019/2023 BHO/I/69676 दिनांक 12.04.2024 से चाही गई 02 बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार हैः–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | In spite of being requested repeated number of times for the SIR the concerned CF is not complying to the directions of Central Govt. which is resulting in unnecessary delay of the projects. State Govt. is advised to direct the concerned official to submit SIR within week in all the proposals of Balaghat district in which it has been already requested for the same | वन संरक्षक बालाघाट ने अपने पत्र दिनांक 01.05.2024 द्वारा किया गया स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जो संलग्न है। |
| 2 | Reply of this office letter No. 6-MPR 019/2023-BHO dated 12/02/2024 shall be submitted. | आपके द्वारा पत्र क्रमांक / 6-MPR 019/2023 BHO दिनांक 12.02.2024 से 04 बिन्दुओं की जानकारी वन मण्डलाधिकारी दक्षिण बालाघाट से दिनांक 04.01.2024 से इस कार्यालय को प्राप्त हुई थी, जो संलग्न है। |

(2)आपके पत्र क्रमांक / 6-MPR 019/2023 BHO दिनांक 12.02.2024 से चाही गई 04 बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार हैः–

| क्र. | बिन्दु | प्रतिवेदन |
|---|---|---|
| 1 | The point-wise reply of this office EDS dated 18.12.2023 through online portal. | आपके EDS dated 18.12.2023 द्वारा चाही गई 05 बिन्दुओं की जानकारी कार्यालयीन पत्र दिनांक 20.03.2024 से आपको प्रेषित की जा चुकी है, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। |
| 2 | The consolidated report of concerned CF as desired by Regional Office, Bhopal. | वन संरक्षक बालाघाट का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 01.05.2024 संलग्न है। |
| 3 | The identified Non-Forest Land is found to be suitable for raising CA, therefore there is no requirement of planting balance plantation in the DFL. | वन मण्डलाधिकारी ने अवगत कराया है कि ग्राम टेकाड़ी वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है। उक्त भूमि अतिक्रमण से मुक्त है एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है, परन्तु पौधे CA के NORMS के हिसाब से 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर लगने चाहिए, उतने Site Specific Plan के हिसाब से नहीं लग पा रहे हैं, इसलिए बचे हुए पौधे को RDF क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा रहा है। |
| 4 | The proposed road is falling in Tadoba-Indrawati Tiger Corridor. Therefore, approval of the NBWL shall be submitted prior to Stage-I approval. | आवेदक संस्थान द्वारा वन्यप्राणी अनुमति हेतु परिवेश पोर्टल में प्रकरण क्रमांक/ WL/MP/Road/465890/2024 से आवेदन किया गया है। |

अतः आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

25.06.24

(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ—5/1253/2023/10—11/3358 भोपाल, दिनांक 26-06-24

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), बालाघाट वृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दक्षिण बालाघाट, मध्यप्रदेश।
3. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बालाघाट मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

25.06.24

**अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)**
**मध्यप्रदेश, भोपाल**

E:\Rakesh\02024\1GOI 23-05-2023 to 07-06-2024.docx

# कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.

दूरभाष नं.–(07632-248414)
email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक / तकनीकी / 4189 बालाघाट, दिनांक 21 / 06 / 2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू–प्रबंध)
भोपाल (म.प्र.)

विषय :– बालाघाट जिले में लांजी तहसील अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के तहत कान्द्रीकला से कट्टीपार तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रभावित वनभूमि रकबा 7.47 हेक्टेयर की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की शासन स्वीकृति प्रदान करने बाबद्।
प्रकरण क्रमांक FP/MP/ROAD/155493/2022, प्रकरण क्रमांक WL/MP/ROAD/465890/2024

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक एफ–5 / 1253 / 2023 / 10–11 / 2713 भोपाल दिनांक 24.05.2024

––00––

निवेदन है, कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार परिपालन में भारत सरकार के पत्र क्रं. 6–एमपीआर 019 / 2023– बीएचओ दिनांक 12.02.2024 के अंतर्गत 04 बिन्दुओं की एवं भारत सरकार के पत्र क्रं. 6–एमपीआर 019 / 2023–बीएचओ / 1 / 69676 दिनांक 12.04.2024 के तहत 02 बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार अवलोकनार्थ सादर सम्प्रेषित है।

1. पत्र क्रं. 6–एमपीआर 019 / 2023– बीएचओ दिनांक 12.02.2024 के तहत 04 बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन

| क्रं. | बिन्दु | प्रतिवेदन |
|---|---|---|
| 1. | The point- wise reply of this office EDS dated 18-12-2023 trough online portal.. | उक्त बिन्दु के संबंध में लेख है कि कार्यालयीन पत्र क्रं / मा. चि. / 127 दिनांक 04.01.2024 द्वारा 05 बिन्दुओं की जानकारी प्रेषित की गई। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। |
| 2. | The consolidated report of concerned CF as desired by Regional office, Bhopal. | वन संरक्षक बालाघाट वन वृत्त का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (SIR) की छायाप्रति संलग्न है। |
| 3. | The identified Non- Forest Land is found to be suitable for raising CA, therefore there is no requirement of planting balance plantation in the DFL. | ग्राम– टेकाडी में CA हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है। उक्त भूमि अतिक्रमण मुक्त है, एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त है, परन्तु जितने पौधे CA के नार्मस के हिसाब से लगने चाहिए, उतने Site Specific Plan के हिसाब से नही लग पा रहा है, इसलिये बचे हुये पौधे को RDF में लगाया जा रहा है। |
| 4. | The proposed road is falling in Tadoba-Indrawati Tiger-Corridor. Therefore, approval of the NBWL shall be submitted prior to stage-I approval. | आवेदक संस्थान द्वारा CWLW की अनुमति हेतु परिवेश पोर्टल पर प्रकरण कं. WL/MP/ROAD/465890/2024 तैयार कर मय मिटिगेशन मेजर्स प्लान अपलोड किया गया है जो अनुशंसा सहित प्रकरण प्रेषित किया गया है। |

2. पत्र क्रं. 6–एमपीआर 019 / 2023–बीएचओ / 1 / 69676 दिनांक 12.04.2024 के अंतर्गत 02 बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन :–

| क्रं. | बिन्दु | प्रतिवेदन |
|---|---|---|
| 1. | In spite of being requested repeated number of times for the SIR the concerned CF is not complying to the directions of Central Govt. which is resulting in unnecessary delay of the the project state Govt. is advised to direct to concerned official to submit SIR with in a week in all proposals of Balaghat district in which it has been already requested for the same. | वन संरक्षक बालाघाट वन वृत्त का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (SIR) की छायाप्रति संलग्न है। |



24/06

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Reply of this office letter no.6-MPR019/2023 BHO Dated 12/02/2024 shall be submitted. | उक्त बिन्दु के संबंध में लेख है कि कार्यालयीन पत्र क्रं/मा.चि./127 दिनांक 04.01.2024 द्वारा 05 बिन्दुओं की जानकारी प्रेषित की गई। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। |

संलग्नः—उपरोक्तानसार।

(अभिनव पल्लव)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट

पत्र पृ. क्र./तकनीकी/ 4190 बालाघाट दिनांक 21/06/2024
प्रतिलिपि :—

(1) वन संरक्षक बालाघाट वन वृत्त (म.प्र.)की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

(2) वनमंडलाधिकारी उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(3) आवेदक विभाग— महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. परियोजना क्रि. इकाई 1 एवं 2 बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत अग्रेषित।

(अभिनव पल्लव)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट

E:\Computer 2\DM\Project\RCPLWE Road\8-Kandrikala to Kattipar 7.47 hac\Memo Letter.docx

# कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
## वनवृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश – 481001

Email- ccf.bgt@mp.gov.in, दूरभाष : 07632–241201 फैक्स : 07632–240268


क्रमांक / तक. कक्ष / 587 बालाघाट, दिनांक : 01/05/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(कक्ष भू–प्रबंध)
म.प्र., भोपाल

विषय :– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत
1. कि.मी. 45 ऑफ टी. 02 से कट्टीपारकलां तक मार्ग निर्माण हेतु 6.705 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/ROAD/155398/2022) एवं
2. कांद्रीकला से कट्टीपार तक मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/ROAD/155493/2022) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बावद।

संदर्भ :– 1. आपका पत्र पृष्ठांकन क्रमांक / एफ–5 / 1262 / 2023 / 10–11 / 1101 दिनांक 19.02.2024.
2. आपका पत्र पृष्ठांकन क्रमांक / एफ–5 / 1253 / 2023 / 10–11 / 2101 दिनांक 18.04.2024.

–0–

निवेदन है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक–1 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.02.2024 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक – 02 एवं संदर्भित पत्र क्रमांक–2 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.04.2024 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक – 01 में प्रदत्त निर्देशानुसार विषयांतर्गत उल्लेखित दोनों मार्गों का संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न सादर संप्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

01/5/2024
( ए.पी.एस. सेंगर )
भा.व.से.
वन संरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

पृष्ठां. क्रमांक / तक. कक्ष / 588 बालाघाट, दिनांक : 01/05/2024

प्रतिलिपि :– वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

01/5/2024
वनसंरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.



Scanned with OKEN Scanner

# स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1. बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत कि.मी. 45 ऑफ टी. 02 से कट्टीपारकला तक (प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/155398/2022) सड़क निर्माण कार्य दक्षिण सामान्य वनमंडल, बालाघाट के अधिनस्थ वनपरिक्षेत्र पश्चिम लांजी अंतर्गत प्रभावित वनकक्ष क्रमांक 291, 649, 650, 656, 657, 661 में लंबाई 7450.00 मीटर रकबा 6.705 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्तावित सड़क मार्ग में आवेदित 6.705 हेक्टेयर वनभूमि के प्रकरण में मेरे द्वारा दिनांक 14.02.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया है। स्थल निरीक्षण उपरांत पाया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के तहत कि.मी. 45 ऑफ टी. 02 से कट्टीपारकलां तक मार्ग की लंबाई 7450.00 मीटर तक निर्माण होने से ग्राम सीतापाला तथा कट्टीपारकलां के वनग्रामवासियों को लांजी व छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र और आस–पास की ग्राम पंचायत आने–जाने में सुगमता होगी। यह मार्ग कि.मी. 45 ऑफ टी. 02 से कट्टीपारकलां को जोड़ते हुये लांजी–खैरागढ़ मुख्य मार्ग से जुड़ जायेगा।

जहाँ तक प्रस्तावित मार्ग की उपयुक्तता का संबंध है तो प्रस्तावित सड़क मार्ग का निर्माण नक्सल नियंत्रण तथा उन्मूलन की दृष्टि से उपयोगी है। उक्त मार्ग का उपयोग नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने केन्द्रीय सुरक्षा बलों तथा पुलिस विभाग द्वारा सतत् सर्चिंग (Movement) के लिये किया जा सकेगा। उक्त मार्ग के निर्माण से आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन भी सुगम होगा एवं साथ ही प्रतिवर्ष विदोहित की जाने वाली वनोपज की निकासी तथा वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को गस्ती करने में सुगमता होगी। प्रस्तावित सड़क मार्ग का निर्माण जनहित एवं ग्रामीणों को आवागमन सुविधा, नक्सली नियंत्रण व उन्मूलन एवं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से उपयुक्त है।

2. बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत कांद्रीकला (स्थल नाम) से कट्टीपारकलां ग्राम के लिये जो मार्ग प्रस्तावित किया गया है जिसका प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/155493/2022 है। प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य हेतु दक्षिण सामान्य वनमंडल, बालाघाट के अधिनस्थ वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी सामान्य परिक्षेत्र के बाघसुर दक्षिण वनखण्ड के वनकक्ष क्रमांक 649, 650, 655, 660 एवं 661 में लंबाई 8300.00 मीटर रकबा 7.47 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्तावित सड़क मार्ग में आवेदित 7.47 हेक्टेयर वनभूमि के प्रकरण में मेरे द्वारा दिनांक 14.02.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया है।

स्थल निरीक्षण उपरान्त यह पाया गया कि उक्त मार्ग एवं उक्त बिन्दु क्रमांक 1 में वर्णित मार्ग कि.मी. 45 ऑफ टी. 02 से कट्टीपारकलां दोनों ही ग्राम कट्टीपारकलां को जोड़ने के लिये प्रस्तावित किये गये हैं तथा दोनों ही मार्ग मुख्य मार्ग लांजी–खैरागढ़ को जोड़ते हैं, इसलिये कि.मी. 45 ऑफ टी. 02 से कट्टीपारकलां हेतु प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हो जाने से कांद्रीकला से कट्टीपार ग्राम तक प्रस्तावित मार्ग के निर्माण की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि दोनों ही मार्ग ग्राम कट्टीपारकलां के लिये ही प्रस्तावित किये गये हैं तथा इस मार्ग के बीच में या आस–पास अन्य कोई ग्राम नहीं है जबकि प्रस्तावित कि.मी. 45 ऑफ टी. 02 से कट्टीपारकलां के मार्ग पर बीच में सीतापाला ग्राम स्थित है। यदि प्रस्तावित मार्ग कांद्रीकला (स्थल नाम) से कट्टीपार ग्राम के लिये अन्य क्षेत्रों के ग्रामीण/अन्य लोग ग्राम कट्टीपार जाते हैं तथा प्रस्तावित मार्ग कि.मी. 45 ऑफ टी. 02 से कट्टीपारकलां ग्राम के लिये जाते हैं तो सिर्फ 03 से 04 कि.मी. की दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी जो नगण्य है, इसीलिये प्रस्तावित मार्ग कांद्रीकला से कट्टीपारकलां ग्राम तक के निर्माण का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। ऐसी स्थिति में कट्टीपारकलां ग्राम के लिये वैकल्पिक मार्ग कि.मी. 45 ऑफ टी. 02 से कट्टीपारकलां के निर्माण उपरान्त प्रस्तावित मार्ग कांद्रीकला से कट्टीपारकलां ग्राम तक के निर्माण की आवश्यकता नहीं है, इसीलिये प्रस्तावित मार्ग कांद्रीकला से कट्टीपार ग्राम तक के निर्माण की उपयुक्तता प्रतीत नहीं होती है।

निरीक्षण प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

01/5/2024

(ए.पी.एस. सेंगर)
भा.व.से.
वन संरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

# कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.

दूरभाष नं.-(07632-248414)
email - dfotsbghat@mp.gov.in


क्रमांक / मा.चि. / 127 बालाघाट, दिनांक 04/01/2026

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध)
भोपाल (म.प्र.)

विषयः– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत कांद्रीकला से कट्टीपार तक मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्।
(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/155493/2022)

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक / एफ–5 / 1253 / 2023 / 10–11 / 5361, 5362 दिनांक 21.12.2023

––00––

निवेदन है, कि विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई वांछित जानकारी आवेदक विभाग–महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक–1, बालाघाट द्वारा उनके पत्र क्रमांक / 2846 / तक. / मप्रग्रासविप्रा / 2023 दिनांक 24.12.2023 से इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। (उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न) अतएव प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 05 बिन्दुओं पर जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र. | बिन्दु | प्रतिवेदन |
|---|---|---|
| 1 | The concerned DFO shall submit status of road as per approved Working Plan. | वनमंडल में प्रचलित अनुमोदित कार्य आयोजना में आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग, वनमार्ग के रुप में उल्लेखित नही है। परन्तु उक्त प्रस्तावित मार्ग सर्वे ऑफ इंण्डिया की टोपो शीट में दर्शित है, एवं स्थल पर भी विद्यमान है। इस मार्ग से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है। |
| 2 | The total area of various proposals is more than 40.00 ha. in the same division and with same User Agency. the SIR of CF/CCF for the same shall be submitted. | – |
| 3 | The DFO/User Agency shall submit separate proposal wise CA schemes and KML files with proper demarcation. | कलेक्टर जिला बालाघाट के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र. / 0032 / अ–59 वर्ष 22–23 में पारित आदेश दिनांक 05.12. 2022 द्वारा वन विभाग को क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (सरकार घास चराई) ग्राम–टेकाड़ी, प.ह.न. 42, तह. कटंगी, जिला बालाघाट के खसरा नं. 356 में कुल रकबा 22.296 हे0 मे से 8.000 हेक्टेयर (01 प्रस्तावों के लिए समेकित<br>(1) FP/MP/Road/155493/2022 रकबा 7.47 हे0<br>भूमि की क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) योजना 01 प्रस्ताव के लिये बनाई गयी है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा प्रदान की गई है। उपर्युक्त 01 प्रस्ताव अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि की के.एम.एल. फाईल प्रस्ताव में संलग्न है। |
| 4 | The CA site needs to be changed. DFO should ensure that the proposed CA area is free from any encroachment and also submit a detailed plan with their estimates for protection of CA areas. | प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र को बदलने की आवश्यकता नही है। उक्त प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र अतिक्रमण से मुक्त है। और वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रावधान योजना, प्राक्कलन में किया गया है। |



8(C)

| | | |
|---|---|---|
| 5 | The proposed road falls under Tadoba-Indrawati Tiger Corridor. Thus comments of CWLW shall be submitted. | आवेदक विभाग/संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है, कि प्रस्तावित सड़क, टाडोबा–इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर, के अन्तर्गत नही आती है। तथा उक्त कॉरिडोर बालाघाट जिले अन्तर्गत क्षेत्र से नही गुजरता है। अर्थात CWLW के अनुमोदन की आवश्यकता नही है। |

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट

वनमंडल अधिकारी
दक्षिण सा.वनमंडल,बालाघाट

पृ. क्रमांक/मा0चि0/ 128
बालाघाट दिनांक 04/01/2024

प्रतिलिपिः–

1. वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र जो आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है, के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
3. आवेदक विभाग– महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक–बालाघाट, की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भाकित संबंध में आपके पत्र क्रमांक/2846/तक/मप्रग्रासप्रा/2023 दिनांक 24.12.2023 द्वारा प्रेषित जानकारी के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(मीना कुमारी मिश्रा)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट

वनमंडल अधिकारी
दक्षिण सा.वनमंडल,बालाघाट

E:\Computer 2\DM\Project\RCPLWE Road\8-Kandrikala to Kattipar 7.47 hac\Memo Letter.docx

## कार्यालय महाप्रबंधक

## म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रं.–1, बालाघाट

फोन नं.–07632 240334 ई मेल–gm_bgtpiu1@rediffmail.com

पत्र क्र. 2846 / तक / मप्रग्रासप्रा / 2023 बालाघाट दिनांक 24 / 12 / 2023

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत कान्द्रीकला से कट्टीपार तक मार्ग पहुँच निर्माण हेतु 7.47 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (आनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155493/2022 )

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का प.क्रं. एफ–5 / 1253 / 2023 / 10–11 / 5361 भोपाल दिनांक 21.12.23

.............00.................

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के तहत 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। उक्त संबंध में संबंधित वांछित जानकारियों का विवरण निम्नानुसार है:–

| क्र. | बिन्दु | प्रतिवेदन |
|---|---|---|
| 1 | The concerned DFO shall submit status of road as per approved Working Plan. | प्रस्तावित मार्ग, वनमार्ग के रुप में उल्लेखित है। उक्त प्रस्तावित मार्ग सर्वे ऑफ इंण्डिया की टोपो शीट में भी दर्शित है, एवं स्थल पर भी विद्यमान है। इस मार्ग से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है। |
| 2 | The total area of various proposals is more than 40.00 ha. in the same division and with same User Agency. the SIR of CF/CCF for the same shall be submitted. | वनमंडल से संबधित है। |
| 3 | The DFO/User Agency shall submit separate proposal wise CA schemes and KML files with proper demarcation. | कलेक्टर जिला बालाघाट के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र. / 0032 / अ–59 वर्ष 22–23 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2022 द्वारा वन विभाग को क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (छोटे झाड का जंगल व घांस) ग्राम– टेकाडी, प.ह.न. 42, तह. कंटगी, जिला बालाघाट के खसरा नं. 356 में रकबा 7.47 हे0 (01 प्रस्ताव के लिए समेकित<br>1. FP/MP/Road/155493/2022 रकबा 7.47 हे0 भूमि की क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) योजना बनाई गयी है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा प्रदान की गई है। उपर्युक्त प्रस्ताव अन्तर्गत क्षतिपूरक वैक्रल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि की के.एम.एल. फाईल प्रस्ताव में संलग्न है। |
| 4 | The CA site needs to be changed. DFO should ensure that the proposed CA area is free from any encroachment and also submit a detailed plan with their estimates for protection of CA areas. | प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र को बदलने की आवश्यकता नही है। उक्त प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र अतिक्रमण से मुक्त है। और वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रावधान योजना, प्राक्कलन में किया गया है। |
| 5 | The proposed road is falling in Tadoba-Indrawati Tiger Corridor. comments of CWLW shall be submitted. | प्रस्तावित सड़क, टाडोबा–इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर, के अन्तर्गत नही आती है। तथा उक्त कॉरिडोर बालाघाट जिले अन्तर्गत क्षेत्र से नही गुजरता है। अर्थात CWLW के अनुमोदन की आवश्यकता नही है। |

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

क्र. 10060
दि. 26/12/23



REDMI NOTE 5 PRO

पृ. क्र. 2847 / तक / मप्रग्रासविप्रा / 2023 बालाघाट, दिनांक 24/12/2023

प्रतिलिपीः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य वन संरक्षक महोदय बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ ।

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बाला

# कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
## वनवृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश – 481001

Email- ccf.bgt@mp.gov.in, दूरभाष : 07632–241201 फैक्स : 07632–240268


क्रमांक / तक. कक्ष / 587 बालाघाट, दिनांक : 01 / 05 / 2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(कक्ष भू–प्रबंध)
म.प्र., भोपाल

विषय :– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत
1. कि.मी. 45 ऑफ टी. 02 से कट्टीपारकलां तक मार्ग निर्माण हेतु 6.705 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/ROAD/155398/2022) एवं
2. कांद्रीकला से कट्टीपार तक मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/ROAD/155493/2022) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबद्।

संदर्भ :– 1. आपका पत्र पृष्ठांकन क्रमांक / एफ–5 / 1262 / 2023 / 10–11 / 1101 दिनांक 19.02.2024.
2. आपका पत्र पृष्ठांकन क्रमांक / एफ–5 / 1253 / 2023 / 10–11 / 2101 दिनांक 18.04.2024.

–0–

निवेदन है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक–1 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.02.2024 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक – 02 एवं संदर्भित पत्र क्रमांक–2 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.04.2024 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक – 01 में प्रदत्त निर्देशानुसार विषयांतर्गत उल्लेखित दोनों मार्गों का संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न सादर संप्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

01/5/2024
( ए.पी.एस. सेंगर )
भा.व.से.
वन संरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

पृष्ठां. क्रमांक / तक. कक्ष / 588 बालाघाट, दिनांक : 01 / 05 / 2024

प्रतिलिपि :– वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

01/5/2024
वनसंरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

# स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1. बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत **कि.मी. 45 ऑफ टी. 02 से कट्टीपारकलां तक** (प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/155398/2022) सड़क निर्माण कार्य दक्षिण सामान्य वनमंडल, बालाघाट के अधिनस्थ वनपरिक्षेत्र पश्चिम लांजी अंतर्गत प्रभावित वनकक्ष क्रमांक 291, 649, 650, 656, 657, 661 में लंबाई 7450.00 मीटर **रकबा 6.705 हेक्टेयर** वनभूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्तावित सड़क मार्ग में आवेदित 6.705 हेक्टेयर वनभूमि के प्रकरण में मेरे द्वारा दिनांक 14.02.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया है। स्थल निरीक्षण उपरांत पाया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के तहत कि.मी. 45 ऑफ टी. 02 से कट्टीपारकलां तक मार्ग की लंबाई 7450.00 मीटर तक निर्माण होने से ग्राम सीतापाला तथा कट्टीपारकलां के वनग्रामवासियों को लांजी व छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र और आस–पास की ग्राम पंचायत आने–जाने में सुगमता होगी। यह मार्ग कि.मी. 45 ऑफ टी. 02 से कट्टीपारकलां को जोड़ते हुये लांजी–खैरागढ़ मुख्य मार्ग से जुड़ जायेगा।

जहाँ तक प्रस्तावित मार्ग की उपयुक्तता का संबंध है तो प्रस्तावित सड़क मार्ग का निर्माण नक्सल नियंत्रण तथा उन्मूलन की दृष्टि से उपयोगी है। उक्त मार्ग का उपयोग नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने केन्द्रीय सुरक्षा बलों तथा पुलिस विभाग द्वारा सतत् सर्चिंग (Movement) के लिये किया जा सकेगा। उक्त मार्ग के निर्माण से आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन भी सुगम होगा एवं साथ ही प्रतिवर्ष विदोहित की जाने वाली वनोपज की निकासी तथा वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को गस्ती करने में सुगमता होगी। प्रस्तावित सड़क मार्ग का निर्माण जनहित एवं ग्रामीणों को आवागमन सुविधा, नक्सली नियंत्रण व उन्मूलन एवं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से उपयुक्त है।

2. बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत **कांद्रीकला (स्थल नाम) से कट्टीपारकलां** ग्राम के लिये जो मार्ग प्रस्तावित किया गया है जिसका प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/155493/2022 है। प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य हेतु दक्षिण सामान्य वनमंडल, बालाघाट के अधिनस्थ वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी सामान्य परिक्षेत्र के बाघसुर दक्षिण वनखण्ड के वनकक्ष क्रमांक 649, 650, 655, 660 एवं 661 में लंबाई 8300.00 मीटर **रकबा 7.47 हेक्टेयर** वनभूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्तावित सड़क मार्ग में आवेदित 7.47 हेक्टेयर वनभूमि के प्रकरण में मेरे द्वारा दिनांक 14.02.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया है।

स्थल निरीक्षण उपरान्त यह पाया गया कि उक्त मार्ग एवं उक्त बिन्दु क्रमांक 1 में वर्णित मार्ग कि.मी. 45 ऑफ टी. 02 से कट्टीपारकलां दोनों ही ग्राम कट्टीपारकलां को जोड़ने के लिये प्रस्तावित किये गये हैं तथा दोनों ही मार्ग मुख्य मार्ग लांजी–खैरागढ़ को जोड़ते हैं, इसलिये कि.मी. 45 ऑफ टी. 02 से कट्टीपारकलां हेतु प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हो जाने से कांद्रीकला से कट्टीपार ग्राम तक प्रस्तावित मार्ग के निर्माण की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि दोनों ही मार्ग ग्राम कट्टीपारकलां के लिये ही प्रस्तावित किये गये हैं तथा इस मार्ग के बीच में या आस–पास अन्य कोई ग्राम नहीं है जबकि प्रस्तावित कि.मी. 45 ऑफ टी. 02 से कट्टीपारकलां के मार्ग पर बीच में सीतापाला ग्राम स्थित है। यदि प्रस्तावित मार्ग कांद्रीकला (स्थल नाम) से कट्टीपार ग्राम के लिये अन्य क्षेत्रों के ग्रामीण/अन्य लोग ग्राम कट्टीपार जाते हैं तथा प्रस्तावित मार्ग कि.मी. 45 ऑफ टी. 02 से कट्टीपारकलां ग्राम के लिये जाते हैं तो सिर्फ 03 से 04 कि.मी. की दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी जो नगण्य है, इसीलिये प्रस्तावित मार्ग कांद्रीकला से कट्टीपारकलां ग्राम तक के निर्माण का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। ऐसी स्थिति में कट्टीपारकलां ग्राम के लिये वैकल्पिक मार्ग कि.मी. 45 ऑफ टी. 02 से कट्टीपारकलां के निर्माण उपरान्त प्रस्तावित मार्ग कांद्रीकला से कट्टीपारकलां ग्राम तक के निर्माण की आवश्यकता नहीं है, इसीलिये प्रस्तावित मार्ग कांद्रीकला से कट्टीपार ग्राम तक के निर्माण की उपयुक्तता प्रतीत नहीं होती है।

निरीक्षण प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

01/5/2024

**( ए.पी.एस. सेंगर )**
**भा.व.से.**
**वन संरक्षक**
**वनवृत्त बालाघाट म.प्र.**